न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 174/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00187**

01 भीम सैन पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी चक 1 एल.एस.एम (बाण्डा) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र परतुराम जाति सुथार निवासी करड़वाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया अभिभाषक अपीलांट
श्री बहादुरराम सुथार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 22.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि किशनाराम पुत्र छोटूराम जाति जांगिड़ निवासी तर्डवाला तहसील सादुलशहर ने चक 16 बीएलडी ''सी'' तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नंबर 244/433 (30) के किला नंबर 1 ता 18 की 17 बीघा 14 बिस्वा रकबा आवंटी किशनाराम पुत्र छोटूराम को आवंटित हुई। उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलांट ने धारा 11–14 राजस्थान उपनिवशन अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के आवंटन को निरस्त ना करके धारा 14(1) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत 2000 रूपये शास्ती अधिरोपित कर दीं। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.07.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि आवंटी किशनाराम के नाम से आवंटन आदेश जारी किया गया था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन है कि आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र बिशनाराम पुत्र छोटूराम के नाम से दिया गया था परन्तु लिपकीय भूल से आवंटन आदेश किशना राम पुत्र छोटूराम के नाम से जारी कर दिया गया। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विशनाराम के प्रार्थना–पत्र पर आवंटन को किशनाराम के नाम से आवंटन आदेश को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दुरूस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई। बिशनाराम पुत्र छोटूराम के नाम से चक 10 केआरडब्ल्यू में 14 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड भूमि व 11 केआरडब्ल्यू के संयुक्त खाता में उसके हिस्से में 7 बीघा 10.5 बिस्वा कमाण्ड भूमि दर्ज करके चक 16 बीएलडीसी में आराजी जैर अपील 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाते हुए करवाया जो कानून के अनुसार उसके नाम से आंवटन नही हो सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए भी उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत इस मामले को मानते हुए सिर्फ 2000 रूपये की शास्ती अधिरोपित करते हुए आवंटन को बहाल रखने में कानूनी गलती की है। जबकि यह मामला उपनिवेशन अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत आता है क्योंकि उसके द्वारा छुपाये गये तथ्यों को किसी भी सूरत में दुरूस्त नहीं किया जा सकता। बल्कि कानून के मुताबिक अधिक भूमि होने के कारण उसके आवंटन को निरस्त किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तथ्यों के आधार पर अपनी पात्रता से अधिक भूमि का आवंटन करवा लेता है और उसके आधार पर खातेदारी प्राप्त करके उस पर काबिज रहता है तो इस प्रकार से धोखा देकर प्राप्त की गई खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट को अपने कब्जे में रखने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 27.10.2020 को निरस्त फरमायें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि बिशनाराम पुत्र छोटूराम को दिनांक 01.01.1980 को पुख्ता आवंटन किया गया था जो सही था। आवंटित रकबे की तमाम किस्ते जमा करवाये जाने के पश्चात रकबे को लगातार अलॉटी द्वारा किश्ते करते रहने पर जिला कलक्टर के द्वारा दिनांक 30.08.1994 को खातेदारी सनद जारी की गई व उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के बाद किशनाराम खातेदार काश्तकार हो गया। आवंटी बिशनाराम ने कोई तथ्य नही छिपाया तथा जो रकबा बिशनाराम के कब्जा काश्त में था उसका वर्णन पुख्ता आवंटन करते समय अंकित कर दिया था। चक 10 केआरडब्ल्यू में अलॉटी बिशनाराम को 76 हिस्सा यानि 3.16 बीघा रकबा आता था। इसी प्रकार 11 केआरडब्ल्यू में संचुक्त खाते में अलॉटी बिशनाराम को 2.08 बीघा रकबा प्राप्त होता है। दोनों चकों में 3.16 एवं 2.08 कुल 6.04 बीघा कमाण्ड रकबा हिस्से में आता था। आवंटी को 17.14 बीघा रकबा आवंटन किया गया था जो उसकी पात्रता से भी कम आवंटन था। अपीलांट की शिकायत पूरी तरह से झूठी व रंजिशवश की गई हैं। आवंटी अपना नाम बिशनाराम ही दर्ज करवाया है। आवंटन के पश्चात कर्मचारी के द्वारा आंवटन आदेश जारी करते समय उस समय बिशनाराम के स्थान पर किशनाराम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिख दिया गया और उसी के आधार पर जमाबंदी में किशनाराम अंकित हो गया जो एक कर्मचारी की लिपिकीय भूल थी। इस रकबे की खातेदारी सनद दिनांक 30.08.1994 को जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा जारी करने के बाद रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गया है। रकबा खातेदारी दर्ज हुए करीब 18 वर्ष हो गये है। आवंटी बिशनाराम का स्वर्गवास हुए करीब 10 वर्ष हो गए है। आवंटन के बाद आंवटी 20–25 वर्ष जीवित रहा तब तक कोई शिकायत नही की गई। मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट के नाम उक्त भूमि एक रजिस्टर्ड वसीयत से आया है। वसीयत उप–पंजीयक से रजिस्टर्ड है जिसको झूठी शिकायत से निरस्त नही किया जा सकता हैं। शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित है व गैर कानूनी है। अत अपील अपीलांट निरस्त की जावें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 के द्वारा आवंटी बिशनाराम को आवंटित भूमि चक 16 बी.एल.डी 'सी' की 17.14 बीघा कमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन बहाल रखा और रेस्पोडेन्ट पर 2000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में विवेचन कर साबित किया है कि आंवटी बिशनाराम ने भूमि आवंटन के समय अपने धारण की भूमि की सत्य सूचना आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही की है। आवंटी ने तथ्यों को छुपाकर वादगत भूमि का आवंटन करवाया है। उक्त बिन्दु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने धारा 14 की पूर्ण पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2012 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर